



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 968/2026

ओम प्रकाश सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : ओम सिंह राठौर, सुधांशु पांडेय

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधांशु पांडेय तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 15.08.1981 को कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था और वह 30.11.2022 को हेड कांस्टेबल के पद से सेवानिवृत्त हुआ। सेवा काल के दौरान उसके विरुद्ध अपराध संख्या 395/1990, धारा 147, 323, 504 भा.दं.सं. के अंतर्गत एक आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था। याचिकाकर्ता के अनुसार उसने मुकदमे के शीघ्र निस्तारण हेतु न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, किन्तु उसे बताया गया कि वाद की मूल पत्रावली उपलब्ध नहीं है। यद्यपि पत्रावली के पुनर्निर्माण का आदेश पारित किया गया, तथापि उसके पुनर्निर्माण की संभावना नहीं है। साथ ही, प्रतिवादी को भी अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, किन्तु उसने भी ऐसा नहीं किया। याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसी स्थिति में विभागीय/विधिक कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकती, फिर भी उसे ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण तथा नियमित एवं पूर्ण पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है।
3. वर्तमान रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के उपर्युक्त देयों (ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, नियमित एवं पूर्ण पेंशन) के भुगतान के संबंध में उसके दावे पर विचार करने हेतु निर्देशित किया जाए।
4. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्टया परीक्षण प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा किया जाना आवश्यक है।
5. बार में प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता एक विस्तृत प्रत्यावेदन, रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति तथा इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष प्रस्तुत करे। उक्त प्रत्यावेदन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्राप्त होने पर, प्रतिवादी संख्या 4 विधि के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करते हुए, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर निर्णय लें।

जनवरी 28, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"